2015 का विधेयक संख्यांक 154

[दि व्हिसल ब्लोवर्स प्रोटेक्शन (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015

**सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 का
और संशोधन करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2014 का 17
1988 का 34

2. सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में ''संघ के सशस्त्र बलों को जो विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के अधीन गठित विशेष संरक्षा ग्रुप है'' के स्थान पर ''विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के अधीन गठित विशेष संरक्षा ग्रुप को'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

1956 का 1
2013 का 18

(i) ''कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं ''कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) ''शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:—

(घ) ''प्रकटन'' से,—

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई प्रकटन अभिप्रेत है; 1989 का 49

(ii) जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के संबंध में, जिसके कारण सरकार को प्रमाण्य सदोष हानि होती है या लोक सेवक या किसी तृतीय पक्षकार को प्रमाण्य सदोश अभिलाभ उद्भूत होता है, कोई प्रकटन अभिप्रेत है;

(iii) किसी लोक सेवक द्वारा किसी दांडिक अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई प्रकटन अभिप्रेत है,

जो लोक सेवक के विरूद्ध लिखित में या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा या इलेक्ट्रानिक मेल संदेश द्वारा किया जाता है और जिसमें धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लोक हित प्रकटन सम्मिलित है;

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(1) कोई लोक सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत कोई गैर-सरकारी संगठन भी है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई लोक हित प्रकटन कर सकेगा।

(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति, जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन भी है, द्वारा कोई लोक हित प्रकटन नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे प्रकटन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं,—

(क) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राज्य के सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या कोई अपराध-उद्दीपन होता हो;

(ख) ऐसी सूचना, जिसका प्रकाशन किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध कर दिया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान गठित होता हो;

(ग) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या राज्य विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग होता हो;

(घ) वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यापार भेदों या बौद्धिक संपदा से संबंधित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को अपहानि होती हो, जब तक कि ऐसी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन शिकायतकर्ता को प्रकट न की गई हो; 2005 का 22

(ङ) ऐसी सूचना, जो किसी व्यक्ति के पास उसकी वैश्वासिक हैसियत या नातेदारी के कारण उपलब्ध हो, जब तक कि ऐसी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन शिकायतकर्ता को प्रकट न की गई हो; 2005 का 22

(च) किसी विदशी सरकार से गोपनीय रूप में प्राप्त सूचना;

(छ) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के प्राण या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होता हो या ऐसी सूचना या सहायता के स्रोत का, जो विधि के प्रवर्तन या सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए गोपनीय रूप में दी गई है, पता लगता हो;

(ज) ऐसी सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण या उन्हें पकड़ने या उनके अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पैदा होती हो;

(झ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श अभिलेख भी हैं ; 2005 का 22

(ञ) ऐसी निजी सूचना, जिसके प्रकटन का किसी लोक क्रियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यष्टि की निजता में अनपेक्षित हस्ताक्षेप कारित होता हो जब तक शिकायतकर्ता को ऐसी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन प्रकट न की गई हो।''। 2005 का 22

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 5 का संशोधन।

''(1क) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे किसी लोक हित प्रकटन की जांच नहीं करेगा जिसमें धारा 4 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की सूचना अंतर्वलित है:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, ऐसे किसी लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर ऐसे प्रकटन को, धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को यह अभिनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट करेगा कि क्या ऐसे प्रकटन में, धारा 4 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई सूचना अन्तर्विष्ट है और इस संबंध में उस प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी पर आबद्धकर होगा।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 8 का संशोधन।

''(1) इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन किसी जांच में कोई सूचना देने या किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई अन्य सहायता करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे उसके लिए प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी सूचना देने या प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने या सहायता करने के परिणामस्वरूप धारा 4 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी सूचना के प्रकटन की संभावना है और इस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए कि ऐसी सूचना, उत्तर, दस्तावेज या सहायता धारा 4 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की है, जारी किया गया प्रमाणपत्र आबद्धकर होगा।''।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्: — धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''14. शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा किए गए किसी प्रकटन पर, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि जांच के लंबित रहने तक किसी भ्रष्ट आचरण को रोका जाना अपेक्षित है , तो वह ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जो वह ऐसे आचरण को रोके जाने के लिए ठीक समझे।''। अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में, ''या उसके द्वारा किया गया समझा जाता है'' शब्दों के स्थान पर, ''या विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 18 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 20 में, ''धारा 14 या धारा 15 या धारा 16 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''धारा 15 के अधीन सक्षम प्राधिकारी'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 20 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 23 में,— धारा 23 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, ''एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वार्षिक रिपोर्ट '' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, ''प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति'' शब्दों के स्थान पर ''प्राप्त होने पर, इस प्रकार प्राप्त रिपोर्टों को समेकित करेगी और समेकित रिपोर्ट '' शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में, ''की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी'' शब्दों के स्थान पर, ''की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई को इस अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा।'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 31 का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 (2011 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) भ्रष्टाचार का, किसी लोक सेवक द्वारा शक्ति या विवेकाधिकार के जानबूझकर प्रयोग किए जाने का प्रकटन करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न से, सूचना प्रदाताओं की पहचान को सुरक्षित बनाए रखते हुए, संरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यद्यपि, सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011 संसद् में उस पर विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने के लिए लिया गया था, तथापि ऐसे प्रकटनों के प्रति, जिनसे देश की प्रभुता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था, रक्षोपायों को सुदृढ़ बनाने तथा कतिपय प्रारूपण संबंधी गलतियों और खंडों में के प्रति-संदर्भों में की गलतियों को सुधारने की दृष्टि से जिन संशोधनों पर सहमति थी, उन्हें तैयार किया गया था। तथापि, चूंकि यह विधेयक राज्य सभा में संसद् के विस्तारित शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन को विचारार्थ लिया गया था, अत: विधेयक के शासकीय संशोधन, जिनके लिए सरकार द्वारा सूचना दे दी गई थी प्रस्तावित नहीं किए गए। अत: अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना आवश्यक हो गया है जिससे कि उन प्रकटनों के प्रति आवश्यक रक्षोपायों को समाविष्ट किया जा सके, जिनसे देश की प्रभुता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए उक्त अधिनियम का संशोधन करना उपयुक्त हो गया है।

2. विधेयक की मुख्य बातें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं:—

(क) उन प्रकटनों के प्रति, जिनसे देश की प्रभुता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, रक्षोपायों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में, ऐसे आवश्यक उपबंधों को समाविष्ट किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रदाता अधिनियम, 2011 की धारा 4, धारा 5 और धारा 8 का संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) धारा 4 में के संशोधनों द्वारा, उन प्रकटनों को प्रतिषिद्ध किया गया है, जिनसे देश की प्रभुता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, उनके सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या जिनसे अपराध-उद्दीपन आदि होता है। इन संशोधनों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुरूप तैयार किया गया है;

(ग) धारा 5 के संशोधनों में यह उपबंध है कि सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी लोक हित प्रकटन की जांच नहीं करेगा जिसमें संशोधित धारा 4 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की सूचना अंतर्वलित हो;

(घ) धारा 8 के संशोधन में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति से उक्त अधिनियम के अधीन किसी जांच में कोई सूचना देने या किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई अन्य सहायता करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि ऐसी सूचना देने या प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने या सहायता करने के परिणामस्वरूप धारा 4 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की किसी सूचना के प्रकटन की संभावना है;

(ङ) उक्त अधिनियम में की प्रारूपण संबंधी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ अन्य संशोधनों का भी प्रस्ताव किया गया है।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
6 मई, 2015

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह

उपाबंध

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 (2014 का अधिनियम संख्यांक 17) से उद्धरण

* * * *

1988 का 34

इस अधिनियम के उपबंधों का विशेष संरक्षा ग्रुप को लागू न होना।

2. इस अधिनियम के उपबंध संघ के सशस्त्र बलों को, जो विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के अधीन गठित विशेष संरक्षा ग्रुप है, लागू नहीं होंगे।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

2003 का 45

(क) ''केन्द्रीय सतर्कता आयोग'' से केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) संघ के मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, प्रधानमंत्री;

(ii) मंत्री से भिन्न संसद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य राज्य सभा का सदस्य है तो राज्य सभा का सभापति या यदि ऐसा सदस्य लोक सभा का सदस्य है तो लोक सभा का अध्यक्ष;

(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का मुख्यमंत्री;

(iv) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी मंत्री से भिन्न, उस विधान परिषद् या विधान सभा के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य विधान परिषद् का सदस्य है तो विधान परिषद् का सभापति या यदि ऐसा सदस्य विधान सभा का सदस्य है तो विधान सभा का अध्यक्ष;

(v) निम्नलिखित के संबंध में उच्च न्यायालय,—

(अ) कोई न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सिवाय) जिसके अंतर्गत स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के किसी सदस्य के रूप में किन्हीं न्यायनिर्णायक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया कोई व्यक्ति भी है; या

(आ) न्याय प्रशासन से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई समापक, रिसीवर या कमिश्नर भी है; या

(इ) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसे कोई वाद या विषय किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(vi) निम्नलिखित के संबंध में, केंद्रीय सतर्कता आयोग या कोई अन्य प्राधिकरण, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे—

(अ) केंद्रीय सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर या

किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति (मंत्रियों, संसद् सदस्यों और संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों का व्यक्तियों के सिवाय); या 1956 का 1

(आ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या संसद् या राज्य विधान-मंडल के निर्वाचनों के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और संसद् सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसा कोई व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार से या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या 1956 का 1

(उ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी केंद्रीय सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं आयोजित या संचालित करने के संबंध में उपभोग किया गया है; या

(ए) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, का कोई पदधारी या कर्मचारी है जो केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(vii) निम्नलिखित के संबंध में, राज्य सतर्कता आयोग, यदि कोई है, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे—

(अ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर या किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य सरकार 1956 का 1

के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति (मंत्रियों, राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या

(आ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या राज्य में नगरपालिका या पंचायतों या अन्य स्थानीय निकाय के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार से या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या

1956 का 1

(उ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं आयोजित या संचालित करने के संबंध में उपभोग किया गया है; या

(ए) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, का कोई पदधारी या कर्मचारी है, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(viii) संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों या व्यक्तियों के संबंध में, ऐसा कोई प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी, जिसकी उनके संबंध में अधिकारिता है, जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ग) ''शिकायतकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकटन के संबंध में कोई शिकायत करता है;

(घ) ''प्रकटन'' से,—

(i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है;

1988 का 49

(ii) जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के संबंध में, जिसके कारण सरकार को प्रमाण्य सदोष हानि होती है या लोक सेवक या किसी तृतीय पक्षकार को प्रमाण्य सदोष अभिलाभ उद्भूत होता है, कोई शिकायत अभिप्रेत है;

(iii) किसी लोक सेवक द्वारा किसी दांडिक अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है,

जो लोक सेवक के विरुद्ध लिखित में या इलैक्ट्रोनिक मेल द्वारा या इलैक्ट्रोनिक संदेश द्वारा की जाती है और जिसमें धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लोक हित प्रकटन सम्मिलित है;

(ङ) ''इलैक्ट्रोनिक मेल'' या ''इलैक्ट्रोनिक मेल संदेश'' से किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संचार यंत्र पर, कोई संदेश या सृजित या पारेषित या प्राप्त सूचना अभिप्रेत है, जिसमें पाठ, आकृति, श्रव्य, दृश्य तथा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक सम्मिलित हैं, जो संदेश के साथ प्रेषित किए जाएं;

(च) ''सरकारी कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है; 1956 का 1

(छ) ''अधिसूचना'' से यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला कोई प्राधिकारी, निकाय या संस्था अभिप्रेत है;

(झ) ''लोक सेवक'' का वही अर्थ होगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) में है, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नहीं होगा; 1988 का 49

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

लोक हित प्रकटन

लोक हित प्रकटन की आवश्यकता।

4. (1) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक या किसी गैर-सरकारी संगठन सहित कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई लोक हित प्रकटन कर सकेगा। 1923 का 19

* * * *

कतिपय मामलों को प्रकटन से छूट।

8. (1) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर ऐसी कोई सूचना देने या ऐसा कोई उत्तर देने या कोई दस्तावेज या जानकारी पेश करने या इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई अन्य सहायता देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे प्रश्न या दस्तावेज या जानकारी से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या न्यायालय का अवमान, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के संबंध में,—

(क) संघ सरकार के मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो सकता है;

(ख) राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो सकता है,

और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के सचिव या प्रमाणित करने के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की कोई जानकारी, उत्तर या किसी दस्तावेज का भाग खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, आबद्धकर और निश्चायक होगा।

* * * *

अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति।

14. सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा प्रकटन करने के पश्चात् किसी समय, यदि उसकी यह राय है कि उक्त प्रयोजन के लिए किसी जांच के बने रहने के दौरान किसी भ्रष्ट व्यवहार को रोकना आवश्यक है तो ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ऐसे व्यवहार को तत्काल रोकने के लिए ठीक समझे।

* * * *

कतिपय मामलों में विभागाध्यक्ष के लिए दंड।

18. (1) * * * *

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उसकी सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसके द्वारा किया गया समझा जाता है, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

* * * *

उच्च न्यायालय को अपील।

20. धारा 14 या धारा 15 या धारा 16 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, साठ दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु उच्च न्यायालय, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''उच्च न्यायालय'' से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक उद्भूत हुआ है।

* * * *

अध्याय 7

प्रकीर्ण

प्रकटीकरणों पर रिपोर्ट।

23. (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, अपने क्रियाकलापों को करने के बारे में एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी:

परंतु जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी वार्षिक रिपोर्ट के तैयार करने के बारे में उपबंध किया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट में उस अधिनियम के अधीन क्रियाकलापों को करने के बारे में पृथक् भाग अंतर्विष्ट किया जाएगा।

* * * *

निरसन और व्यवृत्ति।

31. (1) * * * *

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

GMGIPMRND—933ls(S3)—07-05-2015.